IJAER/ March-April 2023/Volume-12/Issue-2 ISSN: 2278-9677
International Journal of Arts & Education Research

भारतीय शिक्षा में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 में उच्च शिक्षा की मुख्य विशेषताओं का विश्लेषण

जयप्रकाश यादव
शोधार्थी, शिक्षा संकाय, ग्लोकल स्कूल ऑफ आर्ट्स एण्ड शिक्षा शास्त्र,
द ग्लोकल यूनिवर्सिटी, मिर्जापुर पोल, सहारनपुर (उत्तर प्रदेश)

सार–
जीवन में शिक्षा के महत्त्व को देखते हुए भारत सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में नए परिवर्तनों के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी है। इससे पहले 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनायी गयी थी और वर्ष 1992 में इसमे संशोधन किया गया था। नई शिक्षा नीति को संदर्भित करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा–''देश के प्रधानमंत्री ने एक नये भारत के निर्माण की बात की है–जो स्वच्छ भारत होगा, स्वस्थ भारत होगा, सशक्त भारत होगा, समृद्ध भारत होगा, श्रेष्ठ भारत होगा। उस नए भारत के निर्माण में यह नई शिक्षा नीति 2020 मील का पत्थर साबित होगी।'' आगे फिर उन्होंने कहा–''यह शिक्षा नीति ज्ञान–विज्ञान, अनुसंधान नवाचार, प्रौद्योगिकी से युक्त संस्कारक्षम, मूल्यपरक, हर क्षेत्रा में, हर परिस्थिति का मुकाबला करने वाली, पूरी दुनियाँ के लिए, भारत में ज्ञान की महाशक्ति के रूप में उभर करके आएगी।'' शिक्षा नीति किसी भी राष्ट्र की मूलभूत आवश्यकता होती है। जिसमें अतीत का विश्लेषण, वर्तमान की आवश्यकता तथा भविष्य की संभावनाएँ निहित होती हैं। नई शिक्षा नीति, भारतीय जीवन मूल्यों पर आधारित होने के साथ–साथ, भारतीय परंपराओं, भारतीय संस्कृति एवं भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन, पुनर्स्थापन एवं प्रसार पर जोर देती है, जिससे यह भारत को एक समर्थ, गौरवशाली, आत्मनिर्भर बनाने में निश्चय ही प्रमुख भूमिका निभाएगी।

प्रस्तावना–
भारत प्राचीनकाल से ही विश्वगुरू रहा है। अपने उच्च स्तरीय शिक्षा स्थलों जैसे नालन्दा, तक्षशिला आदि के बल पर इसकी तूती पूरे विश्व में बोलती थी। देश विदेश के विद्यार्थी यहाँ शिक्षा ग्रहण करने को आते थे। शिक्षा स्थल ही वो केन्द्र बिंदु है जहाँ से राष्ट्र का निर्माण और विनाश दोनों ही सम्भव हो सकते है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को सहभागी बनाया गया है। जिसमें 2 लाख सुझावों का सहारा लिया गया है। इस नीति में न केवल वर्तमान युवा पीढ़ी को ध्यान में रखा गया है बल्कि आने वाली पीढ़ी की अपेक्षाओं, आकांक्षाओं व चुनौतियों का भी ध्यान रखा गया है। उच्च शिक्षा में सामान्य नामांकन अनुपात को 2035 तक 26.3 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत तक लाना है। उच्च शिक्षा में सर्टिफिकेट, डिप्लोमा एवं डिग्री पाठ्यक्रमों को शामिल किया जाएगा। देश में 34 सालों बाद नई शिक्षा नीति आई है जो शोधपरक, नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देती है। सरकार का यह प्रयास है कि 45 हजार से अधिक महाविद्यालयों और 15 लाख से अधिक स्कूलों में नई शिक्षा नीति के अनुरूप परिवर्तन किया जाए। सरकार का ऐसा प्रयास है कि तेजी से बदलते सामाजिक आर्थिक वैश्विक परिवेश में देश के युवाओं को सक्षम बनाया जाए। नई नीति का विजन ही ऐसी शिक्षा प्रणाली विकसित करना है जिसमें भारतीय परम्पराओं और मूल्यों को जगह मिले।

शिक्षा प्रणाली में इण्डिया की जगह भारत की झलक मिले। उच्च शिक्षा में सरकार द्वारा जो खर्च किया रहा है उसे अधिक तार्किक एवं लक्ष्य केन्द्रित बनाने की जरूरत है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जिसे 29 जुलाई 2020 को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था, भारत की नई शिक्षा प्रणाली के दृष्टिकोण को रेखांकित करती है। नई शिक्षा नीति 2020 ने पिछली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, की जगह ले ली हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्राथमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा के साथ–साथ ग्रामीण और शहरी भारत दोनों में व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए एक व्यापक रूपरेखा तैयार करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य 2021 तक भारत की शिक्षा प्रणाली को बदलना है और यह नीति 2020 भारत को बदलने में सीधे प्रकार से योगदान प्रदान करती है और भारतीय लोकाचार में निहित शिक्षा प्रणाली को देखती है। इसका उद्देश्य धर्म, लिंग, जाति या पंथ के किसी भी भेदभाव के बिना, सभी को बढ़ने और विकसित होने के लिए एक समान मंच प्रदान करना और सभी को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करके मौजूदा जीवंत ज्ञान समाज को बनाए रखना और उसकी देखभाल करना है। यह भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाने की दिशा में भी एक कदम है। इस नीति में यह परिकल्पना की गई है कि हमारे संस्थानों के समान पाठ्यक्रम और शिक्षाशास्त्र को, छात्रों में मौलिक कर्तव्यों के प्रति सम्मान की भावना पैदा करनी चाहिये और संवैधानिक मूल्यों ,अपने देश और एक बदलती दुनिया के साथ एक संबंध पैदा करना चाहिये। इस नीति का दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच ज्ञान, कौशल, आत्मविश्वास, बुद्धि और कर्म के साथ न केवल विचार बल्कि मूल्यों और दृष्टिकोणों में भी विकास करना है, जो मानव अधिकारों, सतत विकास और जीवन का समर्थन करते हैंऔर वैश्विक कल्याण के लिए एक जिम्मेदार प्रतिबद्धता, जिससे वास्तव में एक वैश्विक नागरिक प्रतिबिम्बित होता है।

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 2030 तक सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) को मौजूदा 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने के लिए एनईपी 2020 की कल्पना की गई थी। इसका उद्देश्य मुक्त और दूरस्थ शिक्षा, ऑनलाइन शिक्षा और शिक्षा में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ाने के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करके छात्रों के समग्र व्यक्तित्व का निर्माण करना है। इसके अलावा देश में अनुसंधान कार्य को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एनआरएफ) की स्थापना की जाएगी। देश भर में उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए एकल नियामक के रूप में परिकल्पित एक राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद (एनएसी) की स्थापना की जाएगी। भारतीय उच्च शिक्षा परिषद (एचईसीआई) में विभिन्न भूमिकाओं को पूरा करने के लिए कई कार्यक्षेत्र होंगे। सभी सरकारी भर्ती परीक्षाओं के लिए एक राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी और समान स्तर की विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के लिए एक सामान्य पात्रता परीक्षा (सीईटी) स्थापित करने के प्रयास किए जाएंगे। इसके अलावा, विषयों में पाठ्यक्रम और कार्यक्रम, जैसे कि इंडोलॉजी, भारतीय भाषाएं, चिकित्सा की आयुष प्रणाली, योग, कला, संगीत, इतिहास, संस्कृति और आधुनिक भारत, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और उससे आगे के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, सार्थक अवसर वैश्विक गुणवत्ता मानकों के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सामाजिक जुड़ाव, गुणवत्ता आवासीय सुविधाओं और परिसर में समर्थन आदि को बढ़ावा दिया जाएगा।

साहित्य की समीक्षा

सिंह दुर्गेश 2020 ने अपने लेख पत्र में लिखा है कि भारत की वर्तमान शिक्षा व्यवस्था त्रीस्तरीय है जिसमें प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा शामिल है। यह शिक्षा व्यवस्था शिक्षित लेकिन रोजगार विहिन युवाओं को तैयार करती है। जिससे स्पष्ट होता है कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था विश्व स्तर के कुशल एवं दक्ष युवा तैयार करने में सक्षम नहीं है। सरकार को इसके लिए शिक्षा में निवेश करना होगा। यद्यपि सरकार ऐसा कर भी रही है। देश में 34 सालों बाद नई शिक्षा नीति आई है जो शोधपरक, नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देती है। सरकार का यह प्रयास है कि 45 हजार से अधिक महाविद्यालयों और 15 लाख से अधिक स्कूलों में नई शिक्षा नीति के अनुरूप परिवर्तन किया जाए। सरकार का ऐसा प्रयास है कि तेजी से बदलते सामाजिक आर्थिक वैश्विक परिवेश में देश के युवाओं को सक्षम बनाया जाए।

प्रो. शर्मा के. एल. 2020 ने अपने लेखपत्र में लिखा है कि शिक्षा से सशक्त और सविमर्शी समाज बनाया जा सकता है लेकिन शिक्षा इतनी गुणवत्तापरक हो कि मनूष्य खुद को स्वतंत्र, रचनात्मक और नैतिक दृष्टि से दृढ़ समझ सके। शिक्षा परिवर्तन और सशक्तिकरण का साधन है। एस. राधाकृष्ण आयोग 1948, डी.एस. कोठारी आयोग 1964, प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, द्वितीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, अध्यापक राष्ट्रीय आयोग 1983, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 1999 और अनेक शिक्षा नीतियों के विचारों से बढ़कर क्या यह शिक्षा नीति है? अब तक कोठारी आयोग द्वारा शिक्षा की दशा एवं दिशा की व्याख्या समावेशी मानी गई है। क्या वर्तमान शिक्षा नीति इससे भी व्यापक और गहन है? नीति आयोग के अनुसार नई नीति द्वारा प्रस्तावित शिक्षा प्रणाली द्वारा नए भारत का निर्माण संभव होगा। नई नीति में प्रारम्भिक स्तर से उच्च स्तर तक संतुलित शिक्षा से सबको विकास का अवसर मिलेगा। परन्तु नई शिक्षा नीति में शिक्षक और विद्यार्थी की दूषित स्थिति से निपटने पर यह नीति मौन है, इस पर किसी प्रकार की विवेचना का अभाव है।

देश में पहली बार शिक्षा नीति 1968 में लाई गई थी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के माध्यम से 6 से 14 वर्ष के बच्चों के शिक्षा के अधिकार की सुरक्षा एवं संरक्षा की गई। न्यायालयों ने समय समय पर निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के विषय पर अपनी व्याख्या की है परन्तु राज्य सरकारों द्वारा इसका क्रियान्वयन अभी भी बेहतर तरीके से किया जाना शेष है। आजादी के बाद भारतीय शिक्षा ढ़ाँचें में यह तीसरा बड़ा बदलाव है। इसका लक्ष्य भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पुरानी नीतियों की अपेक्षाओं को पूरा करेगी। इसमें सबको शिक्षा देने का लक्ष्य पूरा होगा। नई नीति ऐसी शिक्षा नीति है जिसमें 2030 के विकास एजेंडे को ध्यान में रखा गया है। इसमें उच्चतर शिक्षा को अधिक समावेशी बनाया गया है। जिसमें सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवन पर्यन्त शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा देने का लक्ष्य है।

उच्च शिक्षा में सुधार

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार ग्रामीण और शहरी भारत दोनों में प्राथमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा के साथ–साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण में परिवर्तनकाल के लिए एक व्यापक ढांचा है। इस नीति का उद्देश्य 2021 तक भारत की शिक्षा प्रणाली को बदलना है। नई शिक्षा नीति को स्कूल स्तर से विश्वविद्यालय स्तर तक

प्रणाली में औपचारिक परिवर्तनों को औपचारिक रूप देने के उद्देश्य से पेश किया गया है। बदलते परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए, अब से शैक्षिक सामग्री प्रमुख अवधारणाओं, विचारों, अनुप्रयोगों और समस्या समाधान के कोणों पर ध्यान केंद्रित करेगी।

उच्च शिक्षा में प्रत्यायन

उच्च शिक्षा के नियामक तंत्र में अन्य प्रमुख कार्यों के बीच एक स्वतंत्र निकाय द्वारा संचालित ''मान्यता'' होगी। संस्थानों के पास ओपन डिस्टेंस लर्निंग (ओडीएल) और ऑनलाइन कार्यक्रम चलाने का विकल्प होगा, बशर्ते वे ऐसा करने के लिए मान्यता प्राप्त हों, अपनी पेशकशों को बढ़ाने, पहुंच में सुधार करने, जीईआर बढ़ाने और आजीवन सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए।

लर्निंग सर्विस प्रोवाइडर की विश्वसनीयता में सुधार के लिए प्रत्यायन योजना को राष्ट्रीय शिक्षा और प्रशिक्षण बोर्ड, भारतीय गुणवत्ता परिषद द्वारा औद्योगिक संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार) के तहत विकसित किया गया है। प्रत्यायन गुणवत्ता आश्वासन सुनिश्चित करता है जैसे प्रशिक्षक–संकाय, आधारभूत संरचनाय कार्यक्रम डिजाइन (विकास और वितरण)य प्रशिक्षण प्रबंधन प्रणाली (आयामः हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ह्यूमनवेयर स्किनवेयर) आदि।

उच्च शिक्षा में अनुसंधान

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रमुख क्षेत्रों में से एक सरकारी और निजी क्षेत्रों से उच्च अनुसंधान एवं विकास निवेश को प्रोत्साहित करना है। इससे इनोवेशन और इनोवेटिव माइंडसेट को बढ़ावा मिलेगा। इसे सुगम बनाने के लिए उद्योग आधारित कौशल/ अपस्किलिं/रीस्किलिंग के लिए एक मजबूत उद्योग प्रतिबद्धता और शिक्षा जगत के साथ घनिष्ठ हस्तक्षेप की आवश्यकता है। इसके अलावा, ''बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर)'' के बारे में ज्ञान बढ़ाने और इससे लाभ प्रदान करने के लिए इसके संरक्षण के लिए कौशल को विकसित करना प्रासंगिक हो जाता है।

साइबर सुरक्षा में शिक्षा और कौशल

विश्व आर्थिक मंच 2021 की वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2021 के अनुसार, 'साइबर सुरक्षा विफलता' दुनिया के लिए चौथा सबसे महत्वपूर्ण खतरा है। जैसा कि चल रही महामारी के कारण शिक्षा और अध्यन पहले ही साइबर स्पेस में चली गई है, प्रत्येक व्यक्ति की गोपनीयता और सुरक्षा की रक्षा करना अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। इस प्रकार, चूंकि डिजिटलीकरण को अपनाना केंद्र स्तर पर है, इसलिए हमारे नेटवर्क और साइबरस्पेस को सुरक्षित बनाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस वर्तमान परिदृश्य में, यह प्रासंगिक हो जाता है कि 'साइबर सुरक्षा लचीलापन' के लिए क्षमता निर्माण को प्रमुख महत्व दिया जाता है और सीखने की धारा के बावजूद उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल किया जाता है।

राष्ट्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी मंच (एनईटीएफ)

नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्थापित किए जाने के लिए परिकल्पित एनईटीएफ सही दिशा में एक कदम है। शिक्षण–शिक्षण वितरण के सभी आयामों में गुणवत्ता वाले एड–टेक उपकरण शैक्षणिक संस्थानों को जल्दी से अनुकूलित करने में मदद करेंगे। साइबर सुरक्षा मानकों का पालन करने, फायरवॉल को अपनाने और

घुसपैठ का पता लगाने वाले सिस्टम (आईडीएस) के अलावा 'गोपनीयता और सुरक्षा' सुनिश्चित करने के लिए अंतर्निहित साइबर सुरक्षा लचीलेपन के साथ ''ओपन–सोर्स डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म'' पर स्वदेशी एड–टेक टूल को होस्ट करने की आवश्यकता है। यह प्रत्येक छात्र की व्यक्तिगत गोपनीयता की रक्षा करेगा।

निष्कर्ष–

आज भी देश में बिना मान्यता प्राप्त किए विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। शिक्षकों और छात्रों का अनुपात बराबर नहीं है। शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाया जाता है। ये वे आवश्यक विषय है जिन पर केन्द्र एवं राज्य सरकारों को ध्यान देना चाहिए। आज तकनीकी शिक्षा में विज्ञान और इंटरनेट सम्बन्धी विषय अंग्रेजी में ही होते है। जिनका हिंदीकरण किया जाना आसान कार्य नहीं है। ऐसी दशा में यदि हमारा पूरा फोकस हिन्दी, मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषाओं पर रहेगा तो देश में रोजगाार के अवसरों में कमी होगी और हम तकनीकी और आर्थिक विकास की दृष्टि से काफी पिछड़ जाएंगें। एक कल्याणकारी देश की उन्नति एवं उन्नत भविष्य के लिए युवाओं को ऐसी शिक्षा देने की नीति होनी चाहिए कि वे भावी परिर्वतनों में अपने आप को समायोजित करके अपना विकास कर सके। इसके लिए सभी राज्य सरकारों एवं केन्द्र सरकार को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सोचने की आवश्यकता है। नई शिक्षा नीति 2020 का इस प्रकार से क्रियान्वयन करना है कि सभी को विकास के उचित अवसर मिल सके।

अंत में सम्पूर्ण प्रपत्र के अध्यन करने के पश्चात यह कहा जा सकता है की नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा रटने वाले विषयों, समय सीमा को पूरा करने और अंक प्राप्त करने से कहीं अधिक है, लेकिन शिक्षा का वास्तविक अर्थ ज्ञान, कौशल, मूल्यों को प्राप्त करना और उस क्षेत्र में निरंतर कार्य करना और प्रगति करना है,जिसमें व्यक्ति अपनी रुचि खोज की करता है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि अगर नई शिक्षा नीति 2020 को सही तरीके से लागू किया जाए तो यह भारतीय शिक्षा को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकती है। हालाँकि इसके कुछ उद्देश्यों में लक्ष्यों की स्पष्टता का अभाव है, लेकिन हम वास्तव में इसका न्याय तब तक नहीं कर सकते जब तक कि इसकी लिखित योजनाएँ क्रिया में न आ जाएँ। हम केवल सर्वोत्तम परिणामों की आशा कर सकते हैं।

संदर्भ ग्रन्थ सूची–

- गंगवाल सुभाष, नई शिक्षा नीति 21वीं सदी की चुनौतियों का करेगी मुकाबला, दैनिक नवज्योति, पृष्ठ संख्या 4, 22 अगस्त 2020
- तन्खा वरूण, सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता, राजस्थान पत्रिका नागौर, 26 अगस्त 2020, सम्पादकीय पृष्ठ 45!
- राजस्थान पत्रिका नागौर, 28 जनवरी 2020, सम्पादकीय पृष्ठ 42।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020,मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार
- प्रेम परिहार इन्टरनेशनल जर्नल आफ एप्लाईड रिसर्च, 2020, 6(9),पृ0 111
- प्रो. के. एल शर्मा, दैनिक भास्कर जयपुर संस्करण, पृष्ट संख्या 2, 24 अगस्त 2020
- प्रकाश कुमार, 21वीं सदी की मांग पूरी करेगी नई शिक्षा नीति, आउट लुक हिंदी, 24 अगस्त 2020

- सिंह दुर्गेश, क्रॉनिकल मासिक पत्रिका, मई 2020, पृष्ठ संख्या 80–81
- बिरेंद्र सिंह एवं कुकन देवी, उच्च शिक्षा के विशेष संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की एक महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि, आई0जे0आर0ए0आर0 पब्लिकेशन्स, 2022, वाल्यूम–9, इश्यू–1।